

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.5(76)एआरडी/नविवि/5/2014

जयपुर, दिनांक: 11-09-17

आदेश

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नगरीय विकास विभाग (प्रशासनिक विभाग) में गठित निम्नलिखित जिला स्तरीय समितियों को वर्तमान में असामयिक (irrelevant) अप्रासंगिक (redundant) मानते हुये एतद्द्वारा समाहित (समाप्त) किया जाता है।

क. सं.	समिति का नाम	प्र.शा.सुधार विभाग की पत्रावली संख्या
1.	नगरीय क्षेत्रों में सड़को पर होने वाले समस्त कार्यों का समन्वय स्थापित करने के लिये संभागीय मुख्यालय शहरों को छोड़कर अन्य शहरों के लिये समन्वय समिति	प.6(42)प्र.सु.- 3/2008 पार्ट-3
2.	इन्टरनेशनल ईयर आफ सेन्टर फार दी होमलेस (IYSH-1987 कार्यक्रम हेतु)	प.7(23)प्र.सु.- 3/1984

(अर्जुनराम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय, नगरीय विकास विभाग
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर
7. आयुक्त/सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
8. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त-राजस्थान)
9. सूचनासहायक, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. अन्य सम्बन्धित (1) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्थान/प्रमुख शासन सचिव (राजस्थान) सचिव (राजस्थान) (2) समस्त विकास अधिकारी, राजस्थान (3) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान

(अर्जुनराम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय